महिला शिक्षा की स्थिति

Dr. Vandana Sharma

Assistant professor, Department : Hindi literature

College: Govt Girls College, Kaithun, Kota

सार

किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिये जाएँ, क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमज़ोर होगा तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। परंतु देश में व्यावहारिकता शायद कुछ अलग ही है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46 फीसदी है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 82.14 फीसदी है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से काफी कम है।

परिचय

भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश

भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान (52.12 प्रतिशत) और बिहार (51.50 प्रतिशत) में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है।

जनगणना आँकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर (64.46 प्रतिशत) देश की कुल साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से भी कम है।

बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा कई लड़कियाँ रूढ़िवादी सांस्कृतिक रवैये के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं।

कई अध्ययनों के अनुसार, भारत में 15-24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोज़गारी दर 11.5 प्रतिशत है, जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह 9.8 प्रतिशत है।[1,2,3]

वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं और इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं या भीख मांगने जैसे कार्यों में।

आँकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएँ हैं, जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है।

भारत में महिला शिक्षा का इतिहास

भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझने के लिये आवश्यक है कि इतिहास में इसकी विकास यात्रा को भी समझा जाए। इसे मुख्यतः 3 भागों (1) प्राचीन वैदिक काल, (2) ब्रिटिश इंडिया और (3) स्वतंत्र भारत में विभाजित कर देखा जा सकता है।

प्राचीन वैदिक काल

भारत में महिला शिक्षा का इतिहास प्राचीन वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 3000 से अधिक वर्ष पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग समझा जाता था।

वैदिक अवधारणा के स्त्री शक्ति सिद्धांत के अनुसार, महिलाओं की देवी के रूप में पूजा शुरू हुई– उदाहरण के लिये शिक्षा की देवी सरस्वती।

वैदिक शास्त्र कहते हैं कि "लड़कों के साथ लड़कियों को उचित देखभाल के साथ पोषित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।"

वैदिक साहित्य में उन महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने वैदिक अध्ययन का रास्ता चुना।

ब्रिटिश इंडिया

इस काल में पहला ऑल–गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वर्ष 1821 में दक्षिण भारत के तिरुनेलवेली में स्थापित किया गया था।

वर्ष 1840 तक स्कॉटिश चर्च सोसाइटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित छह स्कूल मौजूद थे जिनमें कुल 200 लड़कियों का नामांकन कराया गया था।[4,5,6]

वर्ष 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत करने वाले ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई पश्चिमी भारत में भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे।

पश्चिम भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत पुणे में गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ हुई जिसे वर्ष 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई ने शुरू किया था।

उल्लेखनीय है कि 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8,000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था।

ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्रम वुड्स डिस्पैच ने वर्ष 1854 में महिलाओं की शिक्षा और उनके लिये रोज़गार की आवश्यकता को स्वीकार किया।

वर्ष 1879 में स्थापित बेथ्यून कॉलेज वर्तमान में एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज है।

गौरतलब है कि महिलाओं की समग्र साक्षरता दर वर्ष 1882 में 0.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1947 में 6 प्रतिशत हो गई।

स्वतंत्र भारत

स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर काफी कम थी, जिसे सरकार द्वारा नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1958 में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं। इन सिफारिशों का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरुष शिक्षा के सामानांतर पहुँचाया जाए।

वर्ष 1959 में इसी विषय पर गठित एक समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिये एक समान पाठ्यक्रम को विभिन्न चरणों में लागू करने की सिफारिश की।

वर्ष 1964 में स्थापित शिक्षा आयोग ने बड़े पैमाने पर महिला शिक्षा के विषय में बात की और वर्ष 1968 में भारत सरकार से एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने की सिफारिश की।

महिला शिक्षा की आवश्यकता

महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे– दहेज़ प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है।

यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक–से–अधिक शिक्षित महिलाएँ देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी।

हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है।

इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि महिलाएँ जितनी अधिक शिक्षित होती हैं, उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषण आधार मिलता है।

इसके अलावा कई विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया है कि किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है।[7,8,9]

महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएँ:

भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चहारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

हम दुनिया की सुपर पॉवर बनने के लिये तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, परंतु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएँ भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं।

समाज में यह मिथ काफी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिये महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफी अंतर आता है ।

देश में महिला सुरक्षा अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। हालाँकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम किया गया है, परंतु वे सभी प्रयास इस मुद्दे को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं।

विचार–विमर्श

महिला शिक्षा हेतु सरकार के प्रयास

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिये शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिये प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गई थी।

महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी।[10,11,12]

यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है।

इसके अलावा महिला शिक्षा के उत्थान की दिशा में झारखंड ने भी एक बड़ी पहल की है। झारखंड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने कक्षा 9 से 12वीं तक की सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और नोटबुक बाँटने का फैसला किया है।

शिक्षा प्रणालियाँ प्रशासन, पाठ्यक्रम और कर्मियों के मामले में भिन्न होती हैं, लेकिन सभी अपने विद्यार्थियों को प्रभावित करती हैं। [40] [41] महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि के साथ, औपचारिक शिक्षा प्रगति का प्रतीक और लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम बन गई है।

सच्ची लैंगिक समानता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। विभिन्न स्थानों में अलग-अलग चुनौतियाँ होती हैं जिनके लिए अलग-अलग समाधानों की आवश्यकता होती है। हालाँकि, विश्व स्तर पर शिक्षा प्रणालियों में महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना सफल सिद्ध हुआ है। [42] महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता को समाप्त करने के समाधान के रूप में बालिका शक्ति और महिला शिक्षा की चर्चा कभी-कभी हावी हो जाती है और इस समझ को दबा देती है कि संदर्भ, इतिहास और अन्य कारक महिलाओं को कैसे प्रभावित करते हैं (शेनिला खोजा-मुलजी , 2015)। उदाहरण के लिए, जब पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई की त्रासदी और नाइजीरिया के चिबोक में लड़कियों के अपहरण की तुलना की, तो बालिका शिक्षा को केंद्र में रखते हुए इतिहास और संदर्भ को नजरअंदाज कर दिया गया। मलाला की गोलीबारी की वजह को केवल एक लड़की के रूप में उसकी शिक्षा तक सीमित कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप, गरीबी, सरकारी भ्रष्टाचार और अस्थिरता पर ध्यान नहीं दिया गया। [43]

शिक्षा प्रणाली और विद्यालय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषयों सहित विभिन्न विषयों में लड़कियों की रुचि निर्धारित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जो गुणवत्तापूर्ण एसटीईएम शिक्षा तक समान पहुंच और लाभ प्रदान करके महिला सशक्तिकरण में योगदान दे सकते हैं। [5] बांग्लादेश में महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए, सरकार ने कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इन पहलों में सभी प्राथमिक स्कूली बच्चों को मुफ्त किताबें वितरित करना, विश्वविद्यालय स्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना और ग्रामीण माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों को छात्रवृत्ति देना शामिल है। [44]

लैंगिक समानता का अर्थ केवल स्कूल तक पहुंच सुनिश्चित करना ही नहीं है; पाठ्यक्रम भी मायने रखता है। स्कूलों में लड़कियों के आत्मविश्वास और समाज में समान रूप से भाग लेने की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। [45] कक्षा में शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण विधि महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को निर्धारित करती है। पेरू और मलावी में सफल परियोजनाओं ने लैंगिक-संवेदनशील शिक्षण के लिए शिक्षण मार्गदर्शिकाओं का उपयोग करके शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया है। ये शिक्षक मार्गदर्शिकाएँ पेरू के विजनारिया नेटवर्क और मलावी के गर्ल्स एम्पावरमेंट नेटवर्क द्वारा बनाई गई हैं। इन दोनों को वुमनस्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल से अनुदान प्राप्त हुआ है। [46] ये परियोजनाएँ शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिकाएँ और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करती हैं ताकि कक्षाओं में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा सके और लड़कियों को उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

परिणाम

अंतर्राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र में महिला शिक्षा का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव एक महत्वपूर्ण शोध विषय है । विभिन्न क्षेत्रों में महिला शिक्षा की मात्रा में वृद्धि अक्सर उच्च स्तर के विकास से संबंधित होती है। इसके कुछ प्रभाव आर्थिक विकास से जुड़े हैं । महिलाओं की शिक्षा से उनकी आय बढ़ती है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होती है । अन्य प्रभाव सामाजिक विकास से संबंधित हैं । लड़कियों को शिक्षित करने से अनेक सामाजिक लाभ होते हैं, जिनमें से कई महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं।[13,14,15]

शोधों के आधार पर, शिक्षा और महिलाओं की जीवन योजना और निर्णय लेने के तरीकों (करियर पथ और परिवार निर्माण) में बदलाव के बीच एक सहसंबंध है। [26] अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च शिक्षा स्तर विवाह के समय, परिवार के आकार और करियर की प्रगति के बारे में निर्णय लेने में अधिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। जो इन पेशेवर उन्नति के पक्ष में पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं को विलंबित करता है। [26] शैक्षिक पहुंच को उन समुदायों में महिलाओं के नेतृत्व की भूमिकाओं, उद्यमशीलता पदों और तकनीकी व्यवसायों में कदम रखने से जोड़ा गया है, जहां कभी इन भूमिकाओं को महिलाओं के लिए दुर्लभ माना जाता था। [27] मजबूत पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं वाले समाजों में, परिवार अनजाने में बेटियों की शिक्षा में निवेश को सीमित कर सकते हैं, खासकर जब एक महिला का मूल्य अक्सर घरेलू काम और बच्चों के पालन-पोषण से मापा जाता है। [28] इन समुदायों के सदस्य महिला शिक्षा का विरोध कर सकते हैं; सामाजिक मानदंडों के लिए एक स्पष्ट खतरा। [28] यह अस्वीकृति एक निरंतर चक्र को जन्म दे सकती है: शिक्षा तक पहुंच पर प्रतिबंध एक महिला की भूमिका की अपेक्षाओं को सुदृढ़ करता है। [27]

निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महिलाओं के लिए व्यावसायिक और व्यापारिक प्रशिक्षण पर एक व्यवस्थित समीक्षा ने ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभावों के संबंध में पैंतीस अध्ययनों से प्राप्त साक्ष्यों का सारांश प्रस्तुत किया। लेखकों ने पाया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का रोजगार और आय पर मामूली सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें अध्ययनों के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। उन्होंने पाया कि प्रशिक्षण का प्रभाव कार्यक्रम में लैंगिक समानता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

डिजिटल प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के प्रसार ने समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए डिजिटल कौशल को एक पूर्वापेक्षा बना दिया है । आज, इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थता नुकसान का कारण बनती है। जबकि ये नुकसान पहले कुछ हद तक धनी देशों तक ही सीमित थे, इंटरनेट से जुड़ी प्रौद्योगिकी के तीव्र और निरंतर प्रसार के कारण अब ये वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक हैं। [16,17,18]

महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल कौशल प्रदान करने से उनकी स्वायत्तता और पसंद में वृद्धि के कई अवसर खुलते हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों पर वेबसाइटें और मोबाइल एप्लिकेशन महिलाओं को स्वयं और अपने परिवारों की सुरक्षा और देखभाल के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन सोशल नेटवर्क और डिजिटल संचार महिलाओं को अपने तत्काल समुदाय से परे जानकारी प्रसारित करने और ज्ञान साझा करने की अनुमति देते हैं। [48]

मोबाइल लर्निंग के अवसर, साक्षरता ऐप्स से लेकर खगोल विज्ञान और मनोभ्रंश से पीड़ित बुजुर्ग रिश्तेदारों की देखभाल जैसे विविध विषयों पर ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) तक, विशेष रूप से स्कूल से बाहर की लड़कियों और वयस्क महिलाओं के लिए नए शैक्षिक मार्ग

खोल सकते हैं। [49] नौकरी खोज इंजन और पेशेवर नेटवर्किंग साइटें महिलाओं को श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती हैं , जबकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उनकी आय और स्वतंत्रता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं ।[19,20]

संदर्भ

1. सामामोविक, И.Р. (2019-12-18)। "शिक्षा का डिजिटल परिवर्तनः चुनौतियाँ और संभावनाएँ" । Вестник ГГНТУ. Гуманитарные И Социально-экономические ауки । 3 (17). doi : 10.34708/gstou.2019.17.3.021 । आईएसएसएन 2686-9721 . एस2सीआईडी 242230851 ।
2. ऑस्लर, ऑड्रे; विंसेंट, केरी (2003). लड़कियाँ और बहिष्कार । doi : 10.4324/9780203465202 . ISBN 978-1-134-41283-9.
3. उस्मान, अब्दाल मोनियम खिदिर (नवंबर 2002)। "गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में लिंग को एकीकृत करने की चुनौतियाँः सूडान से सबक"। लिंग और विकास । 10 (3): 22-30 . doi : 10.1080/13552070215922 . ISSN 1355-2074 . S2CID 71270250 .
4. डेकर्स, हेट्टी पी.जे.एम.; बोस्कर, रोएल जे.; ड्रिएसेन, गीर्ट डब्ल्यू.जे.एम. (मार्च 2000)। "शैक्षिक अवसरों की जटिल असमानताएँ। लिंग, सामाजिक वर्ग, जातीयता और स्कूल सफलता के बीच संबंध पर एक बड़े पैमाने पर अनुदैर्ध्य अध्ययन"। शैक्षिक अनुसंधान और मूल्यांकन । 6 (1): 59–82 . doi : 10.1076/1380-3611(200003)6:1 ; 1-i ; ft059 . ISSN 1380-3611 . S2CID 144400482 .
5. रहस्य को सुलझानाः विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा। पेरिसः यूनेस्को। 2017. ISBN 978-92-3-100233-5.
6. डिग्री प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय, नामांकन, प्रदान की गई डिग्रियों और वित्त का ऐतिहासिक सारांशः चयनित शैक्षणिक वर्ष, 1869-70 से 2020-21 तक। राष्ट्रीय शिक्षा सांख्यिकी केंद्र। 2021। 30 जनवरी, 2025 को प्राप्त किया गया ।
7. फरज़ानेह रौदी-फहीमी; वैलेंटाइन एम. मोघदम। "महिलाओं का सशक्तिकरण, समाज का विकासः मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में महिला शिक्षा" । जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो। मूल प्रति 25 अक्टूबर 2011 को संग्रहित। 29 अक्टूबर 2011 को पुनः प्राप्त ।
8. जनसंख्या, शिक्षा और विकास (पीडीएफ) । संयुक्त राष्ट्र। 2003। ISBN 978-92-1-151382-029 अक्टूबर, 2011 को प्राप्त किया गया ।
9. "CAMFED USA: हम क्या करते हैं" . CAMFED. मूल रूप से 9 अक्टूबर, 2011 को संग्रहीत। 11 अक्टूबर, 2011 को पुनः प्राप्त ।
10. "लड़कियों की शिक्षाः विकास की जीवनरेखा" . 1995. मूल से 2021-04-25 को संग्रहित। 2022-02-03 को पुनः प्राप्त ।
11. फिलमर, डियोन (2007-06-29)। "अगर आप इसे बनाते हैं, तो क्या वे आएंगे? 21 गरीब देशों में स्कूल की उपलब्धता और स्कूल में नामांकन"। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज । 43 (5): 901– 928. doi : 10.1080/00220380701384588 . ISSN 0022-0388 . S2CID 216140496 .

12. हर्ज़, बारबरा; सुब्बाराओ, के.; हबीब, मासूमा; राने, लौरा (1991-09-30)। "लड़कियों को सीखने देना"। विश्व बैंक चर्चा पत्र । doi : 10.1596/0-8213-1937-x । ISBN 978-0-8213-1937-6ISSN 0259-210X .
13. पौडेल, रमेश सी. (2019-12-31). "कॉलिअर, पी. (2008). द बॉटम बिलियनः व्हाई द पुअरेस्ट कंट्रीज आर फेलिंग एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूएसए" . इकोनॉमिक जर्नल ऑफ नेपाल . 42 (3–4): 79–82 . doi : 10.3126/ejon.v42i3-4.36039 . ISSN 1018-631X . S2CID 242154293 .
14. "संगठनों में नैतिक साहस के बारे में हमने क्या सीखा है?", संगठनों में नैतिक साहसः कार्यस्थल पर सही काम करना , रूटलेज, 26 मार्च 2015, पृष्ठ 235-240 , doi : 10.4324/9781315702285-28 (12 जुलाई 2025 से निष्क्रिय), ISBN 978-1-315-70228-5
15. ग्रिम, वोल्फ्राम (नवंबर 2006)। "तीव्र हृदय विफलता के चिकित्सा उपचार में साक्ष्य–आधारित क्या है, नया क्या है?"। हर्ज़ कार्डियोवास्कुलर एरक्रानकुंगेन । 31 (8): 771– 779. doi : 10.1007/s00059-006-2910-y . ISSN 0340-9937 . PMID 17149679 . S2CID 38811473 .
16. "विदेश में योजना बनाएं – लड़कियां क्यों?" । प्लान कनाडा। मूल रूप से 13 नवंबर, 2011 को संग्रहीत। 29 अक्टूबर, 2011 को पुनः प्राप्त ।
17. "प्लान ओवरसीज – बुर्किना फासो में बालिका–अनुकूल स्कूलों में दाखिले की दर में भारी वृद्धि" । प्लान कनाडा। मूल रूप से 11 अक्टूबर, 2011 को संग्रहीत। 29 अक्टूबर, 2011 को पुनः प्राप्त ।
18. चंद्र, अंजनी; मार्टिनेज, ग्लेडिस एम.; मोशर, विलियम डी.; अब्मा, जॉयस सी.; जोन्स, जो (2005)। "अमेरिकी महिलाओं की प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्यः 2002 के राष्ट्रीय परिवार विकास सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े"। साइएक्स्ट्रा डेटासेट । doi : 10.1037/e414702008-001 ।
19. "कैकर, बैरन, (अजय कुमार कैकर) (जन्म 28 अप्रैल 1964)", हूज़ हू , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010-12-01, doi : 10.1093/ww/9780199540884.013.u251313
20. रॉस, कैथरीन ई.; मिरोव्स्की, जॉन; गोल्डस्टीन, करेन (नवंबर 1990)। "स्वास्थ्य पर परिवार का प्रभावः एक दशक की समीक्षा"। जर्नल ऑफ मैरिज एंड द फैमिली । 52 (4): 1059. doi : 10.2307/353319 . ISSN 0022-2445 . JSTOR 353319 . S2CID 29506270